हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला–171003.

अनुबन्ध आधार पर चालक पद हेतु विज्ञापन

हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबन्ध आधार पर चालक पद की भर्ती हेतु आवदेन निर्धारित प्रपत्र पर आमन्त्रित किए जाते हैं। जिनका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है:

क.सं.	पदों की संख्या	पदनाम	शैक्षणिक एवं वाँछित योग्यता	मासिक मानदेय	आवदेन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ।
	332 पद(रिक्तियाँ दिनांक 31.03.2022 तक की) जिन का विवरण नीचे दिया गया है ।	चालक (अनुबन्ध आधार पर) अस्थाई नियुक्ति	**दसवीं पास** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो । परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को लागू नहीं होगी । भारी परिवहन वाहन (HTV) का वैद्य लाईसैंस एवम् भारी परिवहन वाहन (HTV) चालन का तीन वर्ष का अनुभव (Driving experience) होना अनिवार्य है ।	**मासिक वेतन** 5910+2400= 8310/-रूपये	27.12.2021 गैर जनजातीय क्षेत्रों एवम् 05.01.2022 जनजातीय क्षेत्रों के लिए ।

2. **श्रेणीवार आरक्षित 332(276+56* बैकलॉग पद) पदों का विवरण :-**

क.सं.	श्रेणी का नाम			
क	सामान्य वर्ग (106)	सामान्य वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) (32)	सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड (05+05*)=10	सामान्य (खिलाडी) (08+15*)=23
ख	अनु0जाति (45)	अनु0 जाति (बी0पी0एल0) (08+01*)=09	अनु0 जाति स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड (01+02*)=03	----------
ग	अनु0 जनजाति (09+02*)=11	अनु0 जनजाति (बी0पी0एल0) (05+01*)=06	--------	----------
घ	अन्य पिछडा वर्ग (49+18*)=67	अन्य पिछडा वर्ग (बी0पी0एल0) (5+11*)=16	अन्य पिछडा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड (03+01*)=04	----------

3. आयु सीमा व अन्य वांछित पात्रता :-

i. आवेदक की आयु 01 जनवरी , 2021 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति आवेदकों को आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट होगी ।

ii. आवेदक की लम्बाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है ।

iii. आवेदक के पास भारी परिवहन वाहन वैध लाईसैंन्स तीन वर्ष के अनुभव के साथ होना अनिवार्य है ।

iv. आवेदक का शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ होना अनिवार्य है और आवेदक किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित न किया गया हो या उसने किसी भी विभाग से ऐच्छिक सेवानिवृति न ली हो ।

v. आवेदक किसी भी न्यायालय से अपराधिक या नैतिक आधार पर दोषी करार न दिया गया हो न ही कोई अपराधिक मामला किसी न्यायालय में लम्बित हो ।

vi. यदि आवेदक चयन प्रकिया में चयनित हो जाता है तो उसकी अन्तिम नियुक्ति मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी (Fitness) प्रमाण पत्र के अनुसार ही की जाएगी।

vii. स्वतंत्रता सैनानियों के वार्ड के पदों का चयन हिमाचल प्रदेश सरकार की सम्बन्धित अधिसूचना के अनुसार ही किया जायेगा।

viii. सामान्य (खिलाडी) के पदों का चयन हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनॉक 28 मई,1999 तथा समय–समय पर संशोधित के अनुसार ही किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र हिमाचल पथ परिवहन निगम की वेबसाईट www.hrtchp.com से डाउन लोड किये जा सकते हैं या निगम के सभी मण्डलीय व क्षेत्रीय कार्यालयों से भी प्राप्त किए जा सकते है ।

5. आवेदक को मु0 300/-रुपये की राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/आई0पी0ओ0 प्रक्रिया शुल्क के रुप में जमा करवाना होगा, जो कि सम्बन्धित मण्डलीय/उप-मण्डलीय/ क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम पर देय मान्य होगा ।

6. आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित दस्तावेजों जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओ.बी.सी/बी.पी.एल. प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता सेनानी वार्ड प्रमाण पत्र /चालक लाईसैंस की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियों सहित हिमाचल पथ परिवहन निगम के मण्डलीय कार्यालयों एवं निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालयों में दिनांक 27.12.2021 तक गैर-जनजातीय क्षेत्रों के अभ्यार्थियों के लिये एवं दिनांक 05.01.2022 को सांय 05-00 बजे तक जनजातीय क्षेत्रों के अभ्यार्थियों के लिये जमा करवाना अनिवार्य होगा । आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा । प्रार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नही होगा । प्रार्थी जिस कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवाएगा उसका प्रारम्भिक चालन परीक्षण (Preliminary Driving Test) सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालय क्षेत्र में होगा ।

कमांक	क्षेत्र का नाम	कमांक	क्षेत्र का नाम
1	**मण्डलीय कार्यालय, शिमला**	5	क्षेत्रीय कार्यालय, सुन्दरनगर
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रिकांगपिओ	6	क्षेत्रीय कार्यालय, सरकाघाट
3	क्षेत्रीय कार्यालय, रामपुर	1	**मण्डलीय कार्यालय, धर्मशाला**
4	क्षेत्रीय कार्यालय, रोहडू	2	क्षेत्रीय कार्यालय, नगरोटा बगवां
5	क्षेत्रीय कार्यालय, लोकल ढली, शिमला-12	3	क्षेत्रीय कार्यालय, चम्बा
6	क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रामीण ढली, शिमला-12	4	क्षेत्रीय कार्यालय, पठानकोट
7	क्षेत्रीय कार्यालय, तारादेवी शिमला-10	5	क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला
8	क्षेत्रीय कार्यालय, सोलन	6	क्षेत्रीय कार्यालय, पालमपुर
9	क्षेत्रीय कार्यालय, नाहन	7	क्षेत्रीय कार्यालय, बैजनाथ
10	क्षेत्रीय कार्यालय, परवाणु	1	**मण्डलीय कार्यालय, हमीरपुर**
11	क्षेत्रीय कार्यालय, नेरवा	2	क्षेत्रीय कार्यालय, हमीरपुर
12	क्षेत्रीय कार्यालय, करसोग	3	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरा
1	**मण्डलीय कार्यालय, मण्डी**	4	क्षेत्रीय कार्यालय, उना
2	क्षेत्रीय कार्यालय, केलांग	5	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर
3	क्षेत्रीय कार्यालय, कुल्लू	6	क्षेत्रीय कार्यालय, नालागढ़
4	क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डी		

7 आवेदन पत्र केवल उपरोक्त मण्डलीय कार्यालयों (शिमला, मण्डी, हमीरपुर, धर्मशाला) या क्षेत्रीय कार्यालओं में ही जमा किये जाऐंगे।

8. कोई भी आवेदन पत्र जो सीधे मुख्य कार्यालय को प्रेषित होगा स्वीकार्य नही होगा । मुख्य कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को रदद् समझा जाएगा ।

9. बिना प्रक्रिया शुल्क के प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नही होंगे ।

हस्ता/-

संदीप कुमार(भा.प्र.स.)

प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल पथ परिवहन निगम,

शिमला- 171003.